न्यायालय बईजलास उपखण्ड अधिकारी चाकसू , जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– ओमप्रकाश सहारण (आरएएस)

मु.सं. 43/17 निर्णय दिनांक :– 17-12-18

उनवान

1. मंगलराम पुत्र चतरू राम जाति ब्राहम्ण निवासी 116, नारायण विहार सेक्टर 3 प्रताप नगर जयपुर, राजस्थान।

––प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील कोटखावदा जिला जयपुर।.

––अप्रार्थी

दावा बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188, 92ए, राजस्थान टेनेन्सी एक्ट

वादी ने वाद पत्र निम्न प्रकार पेश किया :–

तहसील चाकसू के ग्राम ढुसरी पटवार हल्का रूपवास मे खाता नं. 96 के खसरा न. 159, 160, 161, 162 कुल किता 4 कुल

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

दावा वकील वादी ने पेश किया जो दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी व जवाब सरकार लिया गया तो जवाब सरकार निम्नानुसार पेश हुआ कि :–

प्रतिवादी संख्या 1 की तरफ जवाब निम्न प्रकार सादर प्रेषित है :– मद संख्या 1 मुताबिक राजस्व जमाबंदी ग्राम डुंसरी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या 21 कुल किता 4 रकबा 0.87 है0 में गंगासहाय पुत्र चतरू हिस्सा 1/20 जाति हरियाणा ब्राहम्ण सा0 देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। मद संख्या 2 व 3 वादी स्वयं सबूतो से सिद्ध करे। मद संख्या 4 वादी स्वयं सिद्ध करे। मद संख्या 5 से 7 कानूनी है। मद संख्या 8 (क) से 8 (ग) माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है। जवाब सरकार पेश होने पर बहस दावा वकील वादी की सुनी गयी तो वकील वादी ने दावे का समर्थन करते हुये प्रस्तुत दस्तावेज अनुसार वादी का नाम दुरूस्त किया जाना जाहिर किया गया। वादी ने दावे के समर्थन में विक्रय पत्र 17.05.1996 मिलान क्षेत्रफल, जमाबंदी चुनाव पहचान पत्र, आधार कार्ड, ग्राम डूंसरी की जमाबंदी संवत 2058 से 2061 खाता संख्या 96 बतौर दस्तावेज प्रस्तुत किये। वकील वादी की बहस पर गौर किया व प्रस्तुत दस्तावेज आधार कार्ड चुनाव पहचान पत्र का अवलोकन किया तो वादी का नाम मंगलराम पुत्र चतरू अंकित हो गया जो कि एक लिपिकिय त्रूटि होने उक्त नाम को राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

रकबा 0.87 हैक्टयर स्थित है जो वादी के नाम दर्ज है किन्तू खाते मे वादी का नाम मंगलराम पुत्र चतरू राम की जगह गंगासहाय पुत्र चतरू के नाम दर्ज हो रखा है। वादग्रस्त अराजी वादी के नाम विक्रय पत्र दिनांक 17/05/1996 को लगी थी तभी से वादी का नाम मंगलराम पुत्र चतरू राम की जगह गंगासहाय पुत्र चतरू चला आ रहा है जो एक लिपीकिय त्रुटी के कारण सहवन से गलत दर्ज हो रखा है। वादी के सम्पूर्ण दस्तावेजों मे आधार कार्ड, पहचान पत्र व अन्य सभी सरकारी दस्तावेजों मे वादी का नाम मंगलराम पुत्र चतरू राम है तथा वादी को आमजन मंगलराम पुत्र चतरू राम के नाम से ही जानते है तथा– वादी को गंगासहाय के नाम से धर मे बोला जाता है तथा गंगासहाय कोई अन्य व्यक्ति नही होकर वादी ही है इस नाम का अन्य कोई व्यक्ति नहीं है यह केवल लिपिकीय त्रुटी है। दिनांक 04.12.2017 को वादी के.सी.सी हेतू बैक गया तो प्रथम बार ज्ञात हुआ कि वादी का नाम मंगलराम पुत्र चतरू राम की जगह गंगासहाय पुत्र चतरू दर्ज होने के कारण बैंक कर्मचारियों ने केसीसी देने से मना कर दिया इसलिये यह दावा पेश करना आवश्यक हुआ है। दावा बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी घोषणा इन्द्राज दुरूस्ती का डिक्री किया जाकर वादी का नाम गंगासहाय पुत्र चतरू की जगह मंगलराम पुत्र चतरू राम घोषित किया जाकर इस आशय कि इन्द्राज दुरूस्ती की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

किया जाना उचित समझते है। दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाकर ग्रम ढुंसरी को जमाबंदी खाता संख्या 96 के खसरा नम्बर 159, 160, 161, 162 किता 4 रकबा 0.87 हे0 में अंकित वादी का नाम गंगासहाय पुत्र चतरू के स्थान पर मंगलराम उर्फ गंगासहाय पुत्र चतरू शुद्ध दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है व इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। निर्णय अनुसार डिक्री जारी हो निर्णय की पालना हेतु लिखा जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2020.01.17 17:32:29 IST
Reason: SelfAttested
Location: